2018/00053/75 बउनवान ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वितीय बनाम राजस्थान सरकार वगैरह
आदेश दिनांक 28.02.2018

प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अभिभाषक प्रार्थी ने निवेदन किया कि मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर के निर्देशुनसार प्रार्थना पत्र में बहस सुनी जावें। प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर बहस अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने निवेदन किया कि दिनांक 18.04.2018 को प्रार्थी/अपीलांट के अभिभाषक अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नही हो सकें और न्यायालय ने दिनांक 18.04.2017 को अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के नोटिस पेश नही किये जाने के कारण अपील को आदेश 09 नियम 02, 5 जा.दी. के तहत् खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे स्वीकार कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब में निवेदन किया कि मान्नीय राजस्व मण्डल के आदेश है इसलिए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर, अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 03 ने राजकीय अभिभाषक के कथन का समर्थन किया हैं।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाजदायरी एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी (प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत्) को स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**